

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक. १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 16/2011

अवधेश कुमार ओझा

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का
क्रम-संख्या
और
तारीख।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में पेशी,
तारीख-सहित

07.05.2015

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 222, दिनांक 13.01.2011 के विरुद्ध दाखिल है।

उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 16.11.2010 को 12:45 बजे अपराहन अवधेश कुमार ओझा, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०-०6/2007, सा०-कोध, पो०-रामपुर रुद्र, पंचायत-कोध भगवानपुर प्रखंड - पानापुर, की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय जाँच दल (अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, एवं श्री साकेत बिहारी शुक्ला, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मढौरा तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं-

(1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे।

(2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था।

(3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नहीं की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(4) विक्रेता के घर के अन्य सदस्य के द्वारा भंडारण के निरीक्षण हेतु भंडार

खोलकर नहीं दिखाया गया।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3391, दिनांक 06.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रतिदिन समय से अपनी दूकान खोला एवं बन्द किया जाता है। जाँच की तिथि 16.11.2010 को विक्रेता को यह सूचना मिली की आज अन्त्योदय के खाद्यान्न का उठाव होना है। इसलिए वे 10:00 बजे अपने घर से मशरक गोदाम के लिए चले गये। वहाँ 2:00 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन गोदाम प्रबंधक नहीं आये, और उन्हें खाद्यान्न नहीं मिला। विक्रेता की जेब में चाभी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाना संभव हो सका और न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत करना संभव हो पाया। विक्रेता के द्वारा जान-बुझ कर अपनी अनियमितता को छिपाने के लिए दूकान को बंद नहीं रखा गया था। इस आशय की सूचना पट्ट पर अंकित थी। साथ ही मूल्य तालिका भी संधारित थी, लेकिन हो सकता है किसी शरारती बच्चो के द्वारा मिटा दिया गया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।


विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।


उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 222 दिनांक 13.01.2011) में कई कमियां

नजर आ रही है, विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में यदि कुछ कमी थी या कोई अनियमितता पाई गई, तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता से पूरक कारण पृच्छ किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित



जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।


जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....300...../न्या0, दिनांक...08/05/2015

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।


वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
